प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नारायण भाई पुत्र कानजी प्रजापत 15,नूतन सोसायटी पालडी अहमदाबाद 380007		1.उपखंड अधिकारी रानीवाडा 2.तहसीलदार रानीवाडा
प्रकरण अपील		23/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/00072

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

05.08.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 28.08.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर
05.09.2019	अपीलांट व सहायक लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित ।सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी)रानीवाडा का जवाब प्राप्त हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी)रानीवाडा ने जवाब में व्यक्त किया है कि प्रार्थी नारायण भाई द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी नारायण भाई द्वारा डाक द्वारा प्रेषित पत्र को निर्धारित प्रारूप में पोस्टल ऑर्डर पेश नही करने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार रानीवाडा को अग्रेषित किया गया था।जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पत्रांक/2019/199 दिनांक 19.07.2019 द्वारा प्रार्थी को प्रत्युत्तर प्रेषित कर दिया था। प्रार्थी द्वारा श्रीमान को प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा ऑर्डर दिनांक 26.06.2018 की नकल चाही गई है।जो इस कार्यालय के रेकर्ड में उपलब्ध नही है। सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार रानीवाडा) द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया है कि उक्त आर.टी.आई आवेदन में प्रार्थी द्वारा सूचना के प्रत्येक प्रश्न के बिन्दु में कार्यवाही आदेश का निवेदन किया है। लेकिन आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत सूचनाऐ ही दी जा सकती है।पूरा प्रकरण राजस्व विवाद(सीमांकन/पत्थरगढी) से संबंधित होने के कारण बिना सक्षम राजस्व न्यायालय के आदेश के कार्यवाही किया जाना संम्भव नही है।इस संबंध में अपीलांट को पत्रांक/सूचना का अधिकार/3013 दिनांक 30.05.2018 एवं पत्रांक/199-200 दिनांक 19.07. 2019 के जरिए भी सूचना भिजवाई गई है।मौका फर्द पत्थरगढी दिनांक 05.05.2018 पर अपीलांट स्वंय के हस्ताक्षर किये हुऐ है।यदि प्रार्थी पटवारी द्वारा की गई पत्थरगढी से संतुष्ट नही है तो उक्त न्यायालय का निर्णय अपीलीय है।अत:प्रार्थी संबंधित सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलांट द्वारा दिनांक 28.08.2019 को जबाब पेश किया है जिसमें उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 26.06.2018 को जारी किये गये ऑर्डर की प्रमाणित प्रति साफ नकल दिलवाई जाने का कथन करते हुऐ दिनांक 26.06.2018 को जारी आदेश की पालना में तहसीलदार रानीवाडा को सूचित करवाकर अपीलांट को न्याय दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील व रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत जबाब का अध्ययन भी किया गया। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित बिन्दु संख्या(1)ऑर्डर दिनांक 26.

06.2018 ऑर्डर की सॉफ पढी जा सके ऐसी नकल मिलने बास्ते ।बिन्दु संख्या (2) आदेश ऑर्डर पत्थरगढी दिनांक 27.02.2018 के अनुसंधान दूसरा ऑर्डर दिनांक 26.06.2018 के पालनार्थ उपखंड अधिकारी रानीवाडा और तहसीलदार रानीवाडा श्रीमानजी को आदेश फरमावे।

उक्त दोनो बिन्दुओ के संदर्भ में रेस्पोडेन्ट की ओर से जबाब में कथन किया गया है, कि प्रार्थी नारायण भाई द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत डाक द्वारा प्रेषित किया गया आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप मय पोस्टल ऑर्डर नही होने पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पत्रांक/2019/199 दिनांक 19.07.2019 के जरिए अपीलांट को सूचना भिजवा दी गई थी। तथा सूचना के अधिकार के तहत ग्राम धानोल की पत्थरगढी के सीमांकन के संबंध में भी तहसीलदार रानीवाडा के द्वारा पंत्राक/3013 दिनांक 30.05.2018 के जरिए अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी।उक्त अपील में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पत्रांक 248 दिनांक 13.08.2019 के जरिए प्रस्तुत किये गये बिन्दु वार जवाब की प्रति भी अपीलांट को भिजवाई जाकर सूचित किया गया है।

अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखंड अधिकारी रानीवाडा को प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र पत्रांक 370 दिनांक 18.07.2019 के जरिए तहसीलदार रानीवाडा को भिजवाया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना का अधिकार /2019/199 दिनांक 19.07.2019 के जरिये अपीलांट को सूचना भिजवा दी गई थी।इस प्रकार अपीलांट द्वारा बिन्दु संख्या (1) में वर्णित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति हेतु उपखंड अधिकारी रानीवाडा को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय पोस्टल ऑर्डर के प्रस्तुत नही किया गया है।तथा बिन्दु संख्या(2) में चाहा गया अनुतोष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार नही होने से अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

sd/-

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 17:11:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: